

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पटवारी अधिकारी:-श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.

फरमा नम्बर:-101/2019 प्रार्थना पत्र

-श्री भैरू मुतबन्ना रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा

-श्रीमति सीमा पत्नि भैरू जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थीगण

बनाम

-श्री अब्दुल रज्जाक पिता हाजी हुसैन मुसलमान, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील भीलवाड़ा

-संतोक पुत्री रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा

-श्रीमति राजकुमारी पत्नि गोपाल वैष्णव, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा

-श्रीमति ऐजन पत्नि रामचन्द्र जाट, उम्र बालिग निवासी दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा(राज0)

-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-6.5.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2319/2187 रकबा 4 गा 10 बिस्वा, भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे कस्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा श्री विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे कस्त की आराजियात की जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया कर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.4.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर ये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 1 से 5 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् जे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.4.2019 को एक तरफा वाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफ बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते कब्जे कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल कस्त करते समय, फसल कटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कस्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम दांथल पटवार हल्का दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित

उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

पल आराजी नम्बर 2319/2187 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, थल को 500/-रूपये (पाँच सौ रूपये) कमिस्नर फीस पर कमिस्नर नियुक्त किया जाता है। कमिस्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिस्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)

आई ए एस  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा



निर्णय आज दिनांक 6.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी,  
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा